न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-327RAAJodhpur2023-163RTA223 Bhagirath ors Vs Harsukhram etc

1. भागीरथ पुत्र श्री घेवरराम,
2. पुरखाराम पुत्र श्री घेवरराम
3. कोजाराम पुत्र श्री घेवरराम
4. श्यामलाल पुत्र श्री घेवरराम
5. भगवानराम पुत्र श्री शिवजीराम
6. लीला पुत्री श्री भगवानराम
7. मनीष गोद पुत्र श्री भगवानराम,
8. कानाराम पुत्र शिवजीराम–फौत के कायम मुकाम
   8.1. केली पत्नी कानाराम
9. श्रवण पुत्र कानाराम

   सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम पालडी राणावता, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
10. चुन्नी पुत्री कानाराम, पत्नी सतुराम जाति जाट निवासी–धनारी कलां, तहसील बावडी जिला जोधपुर।
11. इन्द्रा पुत्री कानाराम पत्नी जयपाल, जाति जाट निवासी,डेहरू (डारू) तहसील खीवसर जिला नागौर।
12. भावना पुत्री कानाराम, पत्नी महेन्द्र, जाति जाट, निवासी–नागडी, तहसील खीवसर जिला नागौर।
13. परीका पुत्री कानाराम, पत्नी बलदेवराम, जाति जाट, निवासी–ओस्तरा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
14. शान्ति पुत्री कानाराम, जाति जाट, निवासी–पालड़ी राणावता, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
15. भलाराम पुत्र रामजीवन,
16. सहदेवराम पुत्र रामनिवास
17. रामदेवराम पुत्र रामनिवास
18. भवरलाल पुत्र जेठाराम
19. सीताराम पुत्र जेठाराम
20. भाकरराम पुत्र जेठाराम
21. बाबूड़ी पत्नी जेठाराम
22. भाटूदेवी पत्नी भगवानराम

    सभी जातियान जाट, निवासीगण पालड़ी राणावता, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हरसुखराम पुत्र धन्नाराम
2. जीवणराम पुत्र केसाराम
3. मंछाराम पुत्र बाबूलाल
4. ओमाराम पुत्र बाबूलाल फौत के कायम मुकामः–
   4.1. युवराज पुत्र ओमाराम नाबालिग जरिये माता श्रीमती केलन
   4.2. लीला पुत्री ओमाराम नाबालिग जरिये माता श्रीमती केलन
   4.3. केलन पत्नी ओमाराम
   4.4. पारूदेवी पत्नी बाबूलाल
5. हरदीनराम पुत्र मंगलाराम जातियान जाट निवासीगण – पालड़ी राणावता, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 03/2015 भागीरथराम व अन्य बनाम हरसुखराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री रामकरण खोजा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 03/2015 अनवान भागीरथराम व अन्य बनाम हरसुखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम पालडी राणावता के मूल खसरा नं. 598 रकबा 01.04 बीघा, मूल खसरा नं. 599 मूल रकबा 176.08 बीघा के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में

खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का विरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2022 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम को आंषिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों द्वारा 40 वर्ष पूर्व दिनांक 14–08–1974 को श्रीमान् नायब तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कर लिया गया था। उक्त बंटवाडा के आधार पर नामान्तरकरण सं. 244 स्वीकुत किया गया। नामान्तरकरण सं0 244 के अनुसार वादीगण संख्या 1 से 17 के पूर्वजों के बंट व हिस्से में रकबा 110.09 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं 2 से 4 के पूर्वजों के बंट व हिस्से में रकबा 09.10 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के बंट में रकबा 10.10 बीघा भूमि, वादी सख्या 18, 19 व 20 के बंट में रकबा 10 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के बंट में रकबा 35.19 बीघा भूमि बंट में रखी गई। प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से रकबा 6 बीघा भूमि वादी सं0 22 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान कर दी। उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान 40 वर्षों से राजी खुशी बिना किसी मन मुटाव शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त बंटवाडे अनुसार खतौनी में मूल खसरा 599 मीन में विभाजन कर अलग अलग बंट व हिस्से अनुसार जमाबन्दी खतौनी में खाते अनुसार इन्द्राज कर दिया गया, लेकिन नक्शा किश्तवार में तरमीम नहीं हुई। पक्षकारान का मौके पर उक्त विभाजन में दर्ज रकबे अनुसार कब्जा काश्त मकान, ढाणी, ट्यूबवैल बेरा कच्ची पक्की दीवारे, तारबन्दी धोरा पाली किये हुए है। सभी पक्षकारान भौतिक रूप से काबिज काश्त है। पक्षकारान का मौके पर भूमि की उपयोगिता, उपजाउता को मध्य रखकर अपनी सहमति से हकतर्क व विरासत से प्राप्त हिस्से को मध्यनजर रख कर लगभग हिस्से अनुसार व अन्य भूमि को बंटवाडे को भी मध्यनजर रखकर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रतिवादी का काउन्टर वाद स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 244 को निरस्त कर

दिया गया जो सरासर गलत है, क्योंकि बंटवाडा का निर्णय सक्षम अधिकारी नायब तहसीलदार बिलाडा द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसको वाद में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उक्त आदेश के विरूद्ध केवल अपील का प्रावधान है। प्रतिवादीगण ने नामान्तरकरण सं0 244 दिनांक 14–08–1974 के विरूद्ध आज दिन तक कोई अपील नहीं की। इस कारण प्रतिवादी सं० 1 का काउन्टर वाद खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनों के आधार परं दो तनकियात कायम किये गये। दोनों तनकियात जिम्मे वादीगण थी। वादीगण ने उक्त तनकीयात को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी सिद्ध किया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में दोनों तनकियात का विस्तृत निर्णय नहीं किया कि कौनसी तनकी सिद्ध करने में वादीगण सफल हुए या असफल हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात पर किसी प्रकार की कोई फाईण्डिंग नही दी तथा न ही कोई कारण अंकित किया गया। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी तनकी कायम नहीं की गई तथा न ही प्रतिवादी की ओर से काउंटर क्लेम के समर्थन में सुसंगत साक्ष्य पेष किये गये, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी सं० 1 का काउन्टर वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया जो कानूनी तथ्यों के विपरीत होने से काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर वाद आंशिक स्वीकार करने पर कही पर यह उल्लेख नहीं किया कि किस आधार पर प्रतिवादी सं० 1 का काउन्टर वाद आंशिक स्वीकार किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादावा इसलिए प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण सं० 244 के विरूद्ध अपील करनी होती है जो म्याद बाहर होने के कारण अपील चलने योग्य नहीं है। उसके बचाव में मनगढन्त आधार पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी हरसुखराम ने अपनी साक्ष्य की जिरह में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि मूल खेत खसरा नं0 599 वाद के पक्षकारों का मौके पर अपने अपने बंट व हिस्से अनुसार अलग अलग काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं० 2 ने भी अपनी साक्ष्य की जिरह में स्वीकार किया कि 'यह कहना सही है कि मेरे बंट व हिस्से की भूमि से मैं सहमत हूँ। इस गवाह की साक्ष्य को भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। ऐसी स्थिति में वादीगण का

वाद मात्र आंशिक रूप से स्वीकार करना कानूनी भूल है। इसलिए वादी का वाद सम्पूर्ण डिक्री किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक के पूर्वज जस्साराम, धन्नाराम पि. भीयाराम का का 1/4 हिस्सा दर्ज रहा है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में निष्पादित बंटवाड़ा वर्ष 1974 आपसी सहमति से निष्पादित नहीं किया गया था। वादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त बंटवाड़ा मिलीभगती से स्वीकृत करवाया गया है जो रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिकारों का हनन करने वाला होने से खारिज योग्य था। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक के हिस्से में 44 बीघा भूमि बंट में आती है, किंतु बंटवाड़ा में उन्हें केवल 35 बीघा भूमि ही दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम के आधार पर मामले में केवल वादी के जिम्मेदारी तय करते हुए दो तनकीयात कायम किये गये है जो इस प्रकार है–

01. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात ग्राम पालड़ी राणावता के खसरा नंबर 598, 599 में कब्जे काष्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने एवं बंटवाड़े के अनुसार नक्षे में तरमीम करवाने के अधिकारी है? **जिम्मे वादीगण.....**

02. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद करवाने के अधिकारी है? **जिम्मे वादीगण.....**

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर किसी प्रकार की तनकी कायम नहीं किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट्स के जिम्मे विरचित उक्त तनकीयात को निर्णित किये बिना प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम को स्वीकार किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण एवं प्रतिवादी दोनो द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में मामले में प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेष पारित न कर सीधे ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवचेन नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 03/2015 अनवान भागीरथराम व अन्य बनाम हरसुखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 निरस्त किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर भी प्रतिवादी के जिम्मे तनकीयात विरचित कर उन पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विभाजन की इस्तदुआ को ध्यान में रखते हुए विधिनुसार मामले का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर